रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 511] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 1972/अग्रहायण 16, 1894
No. 511] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 1972/AGRAHAYANA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th December 1972

S.O. 733(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Assam for a period of six months with effect from 11th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा II विभाग]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1972

733(अ).—सी० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धान के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि

उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-72 से 10-6-73 तक छह मास के लिए आसाम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० स०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 734(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Chandigarh for a period of six months with effect from 15th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 734(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपयक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-72 से 15-6-73 तक छह मास के लिए चण्डीगढ़ में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्य०)]

S.O. 735(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force, Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Tripura for a period of six months with effect from 15th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 735(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-72 से 14-6-73 तक छह मास के लिए त्रिपुरा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 736(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hhereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Punjab for a period of six months with effect from 19th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 736(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 19-12-72 से 18-6-73 तक छह मास के लिए पंजाब में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[(स० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एंड क्यू)]

S.O. 737(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Gujrat for a period of six months with effect from 20th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 737 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खंड (क) उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20-12-72 से 19-6-73 तक छह मास के लिए गुजरात मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-11 (जीएंडक्यू)]

S.O. 738(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in J. & K. for a period of six months with effect from 26th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 738 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खंड (क) मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26-12-72 से 25-6-73 जम्मू और काश्मीर तक छह मास के लिए सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-11 (जी० एंड क्यू०)]

S.O. 739(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Mizoram for a period of six months with effect from 11th December 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

G. PARKASH, Jt. Secy.

सा० नि० 739(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खंड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपयक्त खंड (क) में उल्लि खित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-72 से 10-6-73 तक छह मास के लिए मीजोराम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-11 (जी० एंड० क्य०)]

ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972